न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

करण संख्या
3/2023

दायर दिनांक
03.02.2023

निर्णय दिनांक
11.03.2024

उनवान

अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन मोमीन जाति मोमीन आयु वयस्क निवासी सांगानेर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

विपक्षी

स्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन
अधिवक्ता प्रार्थी श्री कन्हैया लाल सेन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सामलाती खातेदारी अधिकार की भुमि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमश: 445, 446 कुल किता 02 रकबा 0.7207 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में का नाम मोहम्मद सलीम पुत्र कमरूदीन मोमीन अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम मिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में अब्दुल सलीम अंकित है। इसके साथ ही परिवार कार्ड, आधार कार्ड, में भी प्रार्थी का नाम अब्दुल सलीम अंकित है। प्रार्थी ने अपने पत्र के समर्थन में, आधार कार्ड की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति,, मिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी र से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से र सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तों को दोहराते हुए मोहम्मद सलीम के बजाय अब्दुल सलीम नाम दुरूस्त कराने की की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई प्रकट नहीं की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार :– क्रमशः 445, 446 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7207 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 069–2073 में नाबालिग मोहम्मद सलीम पुत्र कमरूदीन संरक्षक माता जमीला मोमीन खातेदार र्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम मोहम्मद सलीम ाय अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन मोमीन नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया र ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 445, 446 कुल किता 02 रकबा 0.7207 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित नाबालिग मोहम्मद सलीम मरूदीन संरक्षक माता जमीला मोमीन का नाम अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन मोमीन सांगानेर नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा